

## प्रेसनोट दिनांक 09.09.2023

1. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शंकर लाल पुत्र स्व0 गोविन्द राम नि0 रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 600/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र पुत्र स्व0 मलहू प्रसाद नि0 देवकाली थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 601/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री यशवन्त द्विवेदी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बसन्त निषाद पुत्र खुशीराम निषाद नि0 हाजीपुर सिंहपुर दराबगंज थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 330/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अशोक चौरसिया थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान नि0 लोनिया का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 331/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज निषाद पुत्र स्व0 शिव कुमार निषाद नि0 निर्मली कुण्ड थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 332/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश त्रिपाठी थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मांझी पुत्र मंगरू मांझी नि0 हुनमान कुण्ड थाना को0अयोध्या अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 520/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आलोक प्रताप सिंह पुत्र शिव बहाल नि0 अवनपुर सरोहा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 445/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम कुमार पुत्र परमेश्वरदीन नि0 शिवदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 446/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि डिग्गू निषाद पुत्र कामता निषाद नि0 लालपुर भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 447/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 08.09.23 को वादी श्री संतोष कुमार सिंह प्र0नि0 गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नन्हे सिंह पुत्र प्रकाश सिंह नि0 कालूपुर बरखेड़ा बिसौली जनपद बदायूँ। गिर0 अभि0 गण द्वारा पुलिस

पार्टी पर जान से मारने के नीयत से तमंचा से फायर करना व जवाबी कार्यवाही मे अभि० नन्हे सिंह तथा आरक्षी अनुराग कुमार थाना गोसाईगंज का घायल हो जाना तथा अभि० नन्हे सिंह के कब्जे से 01 अदद तमंचा .32 बोर, 04 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 244 / 23 धारा 307 भादवि व 3 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुमित कुमार पुत्र सत्यदेव नि० परशुरामपुर थाना रौनाही अयोध्या। गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 457 / 23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र हरिराम नि० बैदरापुर थान रौनाही अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 458 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री राम अवतार राम थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हृदयराम पुत्र गया प्रसाद नि० असरेवा थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 455 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र शिवरतन नि० चक्रसेनपुर खपरैला थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 456 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अजय कुमार पुत्र गुरु दयाल नि० चक्रसेनपुर खपरैला थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 457 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री भानूप्रताप शाही थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बृजकिशोर वर्मा पुत्र रामकृपाल नि० शेरपुर खपरैला थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 458 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 08.09.23 को वादी म०उ०नि० पूजाराज थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र सभाजीत नि० भावापुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 459 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भानू प्रताप पुत्र प्रदीप कुमार नि० सराय मनोहर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली लड़कियों-महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 175 / 23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 08.09.23 को वादी मु०आरक्षी श्री शैलेश कुमार यादव थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राज बहादुर उर्फ मेल्लू निषाद पुत्र रामजग नि० रजौरा थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 245 / 23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिव बहादुर पुत्र ननहकऊ नि0 बीबीपुर पेड़रा थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 246/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
21. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मिश्री लाल पुत्र मुनेसर नि0 फतेहपुर कमासिन थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 247/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
22. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र रामदेव नि0 मोहदी का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 400/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
23. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री बृजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजितराम पुत्र शिवराम नि0 पलिया जगमोहन थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 401/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
24. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभय प्रताप सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामसूरत पुत्र रामप्रताप नि0 तुलापुर थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 402/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
25. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अर्जुन यादव थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि चेतु कोरी पुत्र बुधई नि0 लाल का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 165/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
26. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि निमडू पुत्र हौसिला नि0 मोहली थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 191/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
27. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विक्रम मंशा पुत्र ननकऊ नि0 सिड़सिड़ थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 192/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
28. दिनांक 08.09.23 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि साधूराम पुत्र रामहुलास नि0 पाकड़पुर थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 193/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
29. दिनांक 08.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री उमेश कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि काशीराम पुत्र बुद्धिराम नि0 पाकड़पुर थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 194/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सतराम पुत्र शिवनाथ नि० जैथरी थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 454/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 08.09.23 को वादी मु०आरक्षी श्री हैदरअली खॉ थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कौशल कनौजिया पुत्र सूर्यबली कनौजिया नि० पूरे गोड़ियन थाना असन्द्रा बाराबंकी। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 132/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पवन पुत्र रामबरन नि० बनमऊ थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु०अ०सं० 120/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीकिशन पुत्र राम सतन नि० गुलरिया थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 206/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

34. दिनांक 08.09.23 को वादी उ०नि० श्री रामकरन प्रसाद थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि भारत रावत पुत्र जगरूप नि० कटघरा जखौली थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 207/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।